पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

श्रावण मास व कांवड़ यात्रा के सम्बन्ध में व्यापक पुलिस प्रबंधन: निगरानी व कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच शिवालयों पर विशेष इंतजाम

प्रेस नोट सं0-1304
दिनांक-30-07-2026

श्रावण मास व कांवड़ यात्रा पर लखनऊ में कड़ी सुरक्षा व निगरानी।

- **प्रमुख शिवालयों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात, CCTV से रखी जा रही नजर।**
- **मंदिरों के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम।**
- **कांवड़ यात्रा के मार्ग, मिश्रित आबादी व संवेदनशील स्थानों पर विशेष सुरक्षा।**
- **महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती।**
- **सोशल मीडिया पर अफ़वाह फैलाने व भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही।**

दिनांक 30/07/2026 से प्रारंभ हो रहे श्रावण मास के अवसर पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा शहर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों व शिवभक्तों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। शहर के प्रमुख धार्मिक प्रतिष्ठानो/ शिवालयों, **जैसे- नागेश्वर महादेव मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, श्री ओंकारेश्वर मंदिर, बुद्धेश्वर महादेव मंदिर व चन्द्रिका देवी मंदिर** सहित अन्य प्रसिद्ध मंदिरों व संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

मंदिरों और संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी

कांवड़ यात्रा के मद्देनजर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा शहर के संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मंदिर परिसरों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इसके अतिरिक्त सिविल डिफेन्स, डिजिटल वॉलन्टियर /विशेष पुलिस बल आदि के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था हेतु जन सहयोग/सामुदायिक पुलिसिंग हेतु विशेष प्रबन्ध किये गये है। मंदिरों में कांवड़ियों की संख्या को व्यवस्थित करने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है एवं समस्त पुलिस बल को सतर्कता बरतने हेतु निर्देशित किया गया है। सीसीटीवी कैमरों की सहायता से प्रमुख मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों की निगरानी की जा रही है। स्थानीय पुलिस बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पैदल गशत भी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

सुरक्षा एवं पुलिस बल का व्यवस्थापन

कांवड़ यात्रा के अवसर पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा शहर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। कावड़ियों /शिवभक्तों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है

विशेष फोकस: शिवालयों,कांवड़ यात्रा मार्ग ,संवेदनशील स्थानों व मिश्रित आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा के दृष्टिगत डायल-112 , पालीगन मोबाईल , व सादे वस्त्रों में **महिला पुलिस कर्मियों** तथा **एण्टी रोमियो स्क्वायड/पिंक मोबाईल** की ड्यूटी लगाई गयी है , जो लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सतर्क दृष्टि बनाये रखेगे।

- कांवड़ यात्रा मार्ग , शिवालयों ,मंदिरों पर उच्चाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गयी है।
- जलाशयों व घाटों पर सुरक्षा के दृष्टिगत **SDRF** टीमों द्वारा की गश्त की जायेगी।
- सादे कपड़ों में **इंटेलिजेंस (LIU)** की टीमें असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखेंगी।
- सीसीटीवी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी (**यथा-बुद्धेश्वर महादेव मंदिर 01-01 उ0नि0 व पुलिस बल की नियुक्ति**)।

यातायात प्रबंधन और ट्रैफिक डायवर्जन

- कांवड़ियों की सुविधा के लिए **ट्रैफिक डायवर्जन (यथा-बुद्धेश्वर चौराहा, मनकामेश्वर मंदिर ढाल, डालीगंज चौराहा, हनुमान सेतु मंदिर चौराहा, पाल तिराहा, दुबग्गा तिराहा, बाराबिरवा तिराहा व सीतापुर मार्ग**) पर लागू किया गया है जनसाधारण की सुविधा हेतु विस्तृत **'यातायात एडवायजरी'** अलग से जारी की गई है।
- प्रमुख मंदिरों के आसपास यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और अव्यवस्था से बचने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त जवानों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात किया गया है, जिससे दर्शन करने आने वाले भक्तों को परेशानी न हो।

तकनीकी निगरानी व सोशल मीडिया मॉनिटरिंग

- **CCTV: प्रमुख शिवालयों, कांवड़ मार्गों, जलाशयों, घाटों** और संवेदनशील मार्गों की **24×7 सीसीटीवी कैमरों** से निगरानी की जाएगी।
- **सोशल मीडिया सेल:** सोशल मीडिया की **राउण्ड द क्लॉक मॉनिटरिंग** की जायेगी। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे- फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर एवं वाट्सएप आदि पर मीडिया सेल द्वारा विशेष निगरानी रखी जायेगी।

ब्रीफिंग एवं दिशा-निर्देश

सुरक्षा व्यवस्था में तैनात समस्त पुलिस बल को कांवड़ियों व श्रद्धालुओं के साथ अत्यंत व्यवहारिक, मृदु और संवेदनशील संवाद करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भक्तों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। महिला कांवड़ियों व श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता के लिए प्रमुख मंदिरों व कांवड़ यात्रा मार्ग पर महिला पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। साथ ही, सुरक्षा बलों को निर्देशित किया गया है कि वे मंदिर परिसरों में उमड़ने वाली भीड़ का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करें और सतर्कता बरतते हुए पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करें।

आपातकालीन सेवाएं और प्रशासन की अपील

पुलिस प्रशासन की जनता से अपील है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सोशल मीडिया पर किसी भी भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और श्रावण मास को शांति एवं सौहार्द के साथ मनाएं।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1313
दिनांक-30.07.2026

जोन-पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- **आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एंव अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा थाना वजीरगंज पर पंजीकृत अभियोग में 01 अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 376(2)N/323/504/506/452 भादवि0 एवं 5/6 पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए, 20 वर्ष के कठोर कारावास व 59,000/- रुपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया।**

01-कार्यवाही:-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्री तरूण गाबा, पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एंव मुख्यालय के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त महिला अपराध एवं सुरक्षा के पर्यक्षेपण में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी तथा सहायक पुलिस आयुक्त चौक कमिश्नरेट लखनऊ के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी थाना वजीरगंज लखनऊ के नेतृत्व में कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन कार्यालय तथा थाना स्थानीय के पैरोकार का0 विभव सिंह के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना स्थानीय से सजा कराये जाने हेतु अभियोग में

मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 30.07.2026, सम्बन्धित वाद सं0-2045/2024, मु0अ0सं0-182/2024, धारा- **376(2)N/323/504/506/452 भादवि0 एवं 5/6 पाक्सो एक्ट** थाना वजीरगंज लखनऊ से सम्बन्धित **अभियुक्त पूरन कश्यप पुत्र स्व0 भोला कश्यप निवासी 274/24/9 रोजाबाग राजेन्द्र नगर निकट पानी टंकी थाना नाका हिण्डोला लखनऊ** को दोषसिद्ध करते हुए धारा **376(2)N/323/504/506/452 भादवि0 एवं 5/6 पाक्सो एक्ट** में दोषसिद्ध किया गया। **20 वर्ष के कठोर कारावास व 59,000/- रुपये के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया।** अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी हुई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जायेगा।

02-अभियुक्त का विवरण-

1. पूरन कश्यप पुत्र स्व0भोला कश्यप निवासी 274/24/9 रोजाबाग राजेन्द्र नगर निकट पानी टंकी थाना नाका हिण्डोला लखनऊ

03-फैसलाः-

वाद सं0-2045/2024, मु0अ0सं0-182/2024, धारा- **376(2)N/323/504/506/452 भादवि0 एवं 5/6 पाक्सो एक्ट** थाना वजीरगंज लखनऊ से सम्बन्धित **अभियुक्त पूरन कश्यप पुत्र स्व0 भोला कश्यप निवासी 274/24/9 रोजाबाग राजेन्द्र नगर निकट पानी टंकी थाना नाका हिण्डोला जनपद लखनऊ** को दोषसिद्ध करते हुए धारा **376(2)N/323/504/506/452 भादवि0 एवं 5/6 पाक्सो एक्ट** में दोषसिद्ध किया गया। **20 वर्ष के कठोर कारावास व 59,000/- रुपये के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया।** अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी हुई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जायेगा।

04-पैरवीकर्ताः-

1. श्री राजेश कुमार त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना वजीरगंज लखनऊ।
2. का0 विभव सिंह थाना वजीरगंज लखनऊ।
3. का0 नीरज गिरी थाना वजीरगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1307
दिनांक- 30.07.2026

जोन- दक्षिणी / थाना-सुशान्त गोल्फ सिटी

- **थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरूण गाबा व श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के लिए चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मोहम्मद मुस्ताक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना सुशान्त गोल्फ सिटी श्री राजीव रंजन उपाध्याय के नेतृत्व में हवाई फायरिंग करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 29/07/2026 को उ0नि0 हिमांचल सिंह को सूचना प्राप्त हुयी कि कृतिका अपार्टमेंट में हवाई फायरिंग हुई है, जिससे सम्बन्धित दो विडियो व्हाट्सऐप पर वायरल हो रहा था जो कि उ0नि0 के मोबाइल पर प्राप्त हुआ जिसके अवलोकन से फायरिंग की आवाज स्पष्ट सुनायी दे रही है।

वादी उ०नि० हिमांचल सिंह थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी में मु0अ0सं0 490/2026 धारा 125 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम रितिक श्रीवास्तव उर्फ ऋषभ पुत्र श्री राजेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव निवासी ग्राम मठिया श्रीराम थाना तरयां सुजान जनपद कुशीनगर उम्र 26 वर्ष के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा कृतिका अपार्टमेन्ट से घटना में संलिप्त 01 नफर अभियुक्त रितिक श्रीवास्तव उर्फ ऋषभ को दिनांक 29.07.26 को हिरासत में लिया गया। जिनके द्वारा जुर्म को स्वीकार किया गया जिनकी गिरफ्तारी कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रितिक श्रीवास्तव उर्फ ऋषभ उम्र 26 वर्ष पुत्र श्री राजेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव निवासी ग्राम मठिया श्रीराम थाना तरयां सुजान जनपद कुशीनगर।

05-पूछताछ विवरण-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा बताया गया कि साहब मैंने रात में क्लब में पार्टी के दौरान ज्यादा शराब पीने के कारण नशे में फायरिंग कर दी थी।

06-बरामदगी-

- एक अदद अवैध पिस्टल
- दो अदद खोखा कारतूस

07-अनावरित अभियोगः-

1. मु0अ0सं0-490/2026 धारा 125 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सुशान्त गोल्फ सिटी कमिश्नरेट लखनऊ।

08-व्यवसाय-

अभियुक्त द्वारा मॉडलर इंटीरियर की ठेकेदारी का कार्य करता है।

09-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- **थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1314

दिनांक-30-07-2026

जोन-उत्तरी/थाना- रहीमाबाद

- **थाना रहीमाबाद पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही :-

दिनाँक 29/07/2026 को आवेदिका द्वारा थाना स्थानीय पर उपस्थित आकर अपनी नाबालिग पुत्री उम्र लगभग 16 वर्ष के साथ अभियुक्त द्वारा छेड़छाड़ कर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय मु0अ0सं0- 113/2026 धारा 74/352/351(3) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम बनाम सचिन पुत्र शिव नारायण निवासी ग्राम अमृतखेड़ा मजरा उमरावल थाना रहीमाबाद लखनऊ पंजीकृत किया गया।

02-सक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 30.07.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सचिन उपरोक्त की सुरागरसी पतारसी में उ0नि0 श्री उमेश यादव व का0 गौरव पाण्डेय मामूर था जरिए मुखबिरखास सूचना मिली की मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त घर पर मौजूद है इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त सचिन के घर पर पहुँचे अभियुक्त सचिन घर पर मौजूद मिला जिसे कारण और आधार गिरफ्तारी बताते हुये आज दिनांक 30.07.2026 को नियुमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने गिरफ्तारी माननीय उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेश निर्देश का अक्षरश: पालन किया गया अभियुक्त सचिन पुत्र शिव नारायण उम्र करीब 20 वर्ष उपरोक्त को वास्ते अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-सचिन पुत्र शिव नारायण उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम अमृतखेड़ा मजरा उमरावल थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

03-अनावरित अभियोग-

मु0अ0सं0- 113/2026 धारा 74/352/351(3) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

01.उ0नि0 श्री उमेश यादव थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

02.का0 गौरव पाण्डेय थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1306

दिनांक-30.07.2026

जोन- दक्षिणी / थाना-पीजीआई

- **थाना पीजीआई द्वारा अवैध तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।**

01-कार्यवाही :-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरूण गाबा महोदय व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त(दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वंसथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक पीजीआई श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में अवैध तमंचा दिखाकर जान से जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

02-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.07.2026 को वादी श्री कृष्णा मिश्रा पुत्र मोहित मिश्रा निवासी उतरेठिया थाना पीजीआई लखनऊ द्वारा सूचना दी गयी मौके पर थाना पीजीआई पुलिस पहुँची व गिरफ्तार शुदा अभियुक्त– अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र पवन कुमार श्रीवास्तव निवासी सदर बाजार थाना कैण्ट जनपद बरेली हाल पता- किराये का मकान उतरेठिया थाना पीजीआई लखनऊ 26 वर्ष को पुलिस हिरासत में लेते हुए थाना पीजीआई आये।

वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्त उपरोक्त द्वारा वादी को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए जान से मारने की नियत से फायरिंग करने, परन्तु फायर मिस हो जाने के सम्बन्ध में थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0- 397/2026, धारा- 109(1)/352/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभिषेक श्रीवास्तव उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त के कब्जे से 01 देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया । अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है ।

03-पूछताछ विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं अरबन कम्पनी में ऑनलाइन बुकिंग पर बाल कटिंग का कार्य करता हूँ । नशे करने का आदी हूँ एवं मकान मालिक के लड़के से कहासुनी हुई फिर विवाद हो गया।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र पवन कुमार श्रीवास्तव निवासी सदर बाजार थाना कैण्ट जनपद बरेली हाल पता- किराये का मकान उतरेठिया थाना पीजीआई जनपद लखनऊ उम्र 26 वर्ष ।

05-पंजीकृत / अनावरित अभियोग-

1- मु0अ0सं0 397/2026 अन्तर्गत 109(1)/352/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पीजीआई लखनऊ।

06-बरामदगी-

- 01 देशी तमन्चा 315 बोर।
- 01 जिन्दा कारतूस ।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- **कोतवाली पीजीआई पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ ।**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1312

दिनांक- 30.07.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-नाका हिण्डोला

- **थाना नाका हिण्डोला पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिये उत्प्रेरित करने के आरोपी 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी पुत्र स्व0 मूलचन्द्र त्रिपाठी नि0 4/80 विनयखण्ड गोमतीनगर लखनऊ गोमतीनगर लखनऊ की तहरीरी सूचना पर मु.अ.सं.130/2026 धारा 108 बी0एन0एस0 थाना नाका हिण्डोला लखनऊ, बावत अभियुक्त द्वारा वादी की बेटी को उसके पति द्वारा आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित करना जिससे वादी की बेटी ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत है।

02-कार्यवाही विवरणः-

उपरोक्त घटना से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त, पश्चिमी के निर्देशन में थाना नाका पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 30.07.2026 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त सतेन्द्र मिश्रा पुत्र त्रियुगी नाथ मिश्रा नि0 55 न्यू गणेशगंज थाना नाका हिण्डोला लखनऊ उम्र 40 वर्ष को सराय फाटर वशीरतंगज से गिरफ्तार करते हुए गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा भेजा जा रहा है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- सतेन्द्र मिश्रा पुत्र त्रियुगी नाथ मिश्रा नि0 55 न्यू गणेशगंज थाना नाका हिण्डोला लखनऊ उम्र 40 वर्ष

04-अभियोग का विवरण-

1. मु.अ.सं. 130/2026 धारा 108 बी0एन0एस0 थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष विवेक कुमार चौधरी थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।
2. उ0नि0 सुशील कुमार थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।
3. उ0नि0 देवेन्द्र सिंह थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।
4. का0 विवेक कुमार थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1311
दिनांक-30.07.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-काकोरी

- **थाना काकोरी पुलिस टीम द्वारा शातिर वांछित 01 लुटेरा / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **01 अदद लूट की अदद मोटर साईकिल बरामद ।**

01-संक्षिप्त विवरण –

1- दिनांक 19.03.2026 को **वादी श्री सुमित तिवारी** पुत्र स्व0शिव प्रकाश तिवारी निवासी अटेर ससपन थाना रहीमाबाद लखनऊ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बावत अज्ञात लुटेरों द्वारा वादी की मोटर साईकिल यूपी 32 के0टी0 6754 डीलक्स व पॉक्सो कम्पनी का मोबाइल फोन मारपीट कर लूट लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर 103/2026 धारा 309(6) बीएनएस पंजीकृत है।

2- दिनांक 19.03.2026 को ही **वादी श्री मनोज** पुत्र राजकिसोर उर्फ पप्पू निवासी मौंदा थाना काकोरी जनपद लखनऊ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बावत अज्ञात लुटेरों द्वारा वादी की मो0सा0 यूपी32 एन0ड्ब्ल्यू0 2814 स्प्लेण्डर प्लस पैन कार्ड व 3000/-रू. मारपीट करते हुए लूट लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 104/2026 धारा 309(6) बीएनएस पंजीकृत है।

उक्त दोनों मुकदमों में वांछित चल रहे अभियुक्त की तलाश में पुलिस टीम आज दिनांक 30.07.2026 को कस्बा काकोरी में मामूर थे मुखबिर की सूचना पर ग्राम मोहम्मद पुर बेलवारन सण्डीला से वांछित अभियुक्त रंजीत कन्नौजिया पुत्र स्व0 राम विलास कन्नौजिया निवासी पानी की टंकी मो0 पठान गढी कस्बा काकोरी थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष को पकड़ लिया गया, जिसकी निशानदेही पर कस्बा काकोरी में राम प्रसाद विस्मिल स्कूल के पास खाली पडी प्लाटिंग से लूट की मोटर साईकिल नम्बर UP32NW2814 (रंग व बनावट परिवर्तित किया हुआ) बरामद हुई। **बरामद मोटर साईकिल मु0अ0सं0 104/2026 में वादी मुकदमा से लूटी गयी मोटर साईकिल है जिसको कब्जा पुलिस में लिया गया।**

अभियुक्त को उसके कृत्य मु0अ0स0 104/2026 में धारा 309(6)/317(2)/318(4)/238 B.N.S व मु0अ0स0 103/2026 में अन्तर्गत धारा 309(6)/317(2) B.N.S में कारण गिरफ्तारी/आधार से अवगत कराकर गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मु0अ0सं0 103/2026 व मु0अ0सं0 104/2026 का दिनांक 22.03.2026 को अनावरण कर अन्य अभियुक्तों 1- अजय राजपूत उम्र करीब 22 वर्ष, 2- दीपांशु उर्फ लक्की राजपूत उम्र करीब 19 वर्ष को दिनांक 22.03.2026 तथा अभि0 3- आयुष रावत उम्र करीब 22 वर्ष को दिनांक 27.03.2026 को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से माल बरामदगी करते हुए जिला कारागार लखनऊ भेजा जा चुका है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रंजीत कन्नौजिया पुत्र स्व0 राम विलास कन्नौजिया निवासी पानी की टंकी मो0 पठान गढी कस्बा काकोरी थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष

03-संबन्धित अभियोग-

1- मु0अ0सं0 103/2026 धारा 309(6) बीएनएस थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।

2- मु0अ0सं0 104/2026 धारा 309(6) बीएनएस थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।

अन्य आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य थानों से जानकारी की जा रही है।

04-बरामदगी –

- मोटर साईकिल नम्बर UP32NW2814 मु0अ0स0 104/2026 थाना काकोरी से संबन्धित

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री अंकित यादव थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री प्रदीप यादव थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
4. का0 वीर बहादुर थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
5. का0 अजीत कुमार थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
6. का0 सूरज गंगवार थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
7. म0का0 ज्योति सिंह थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1308.
दिनांक-30.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-गोसाईगंज लखनऊ

- **थाना गोसाईगंज पुलिस द्वारा राहगीर को रोककर, डरा-धमकाकर छिनैती / लूट करने वाले 04 शातिर अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से कुल 07 अदद एन्ड्रायड फोन (अनुमानित कीमत – 1,25,000 रुपये) व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद ।**

01-कार्यवाही:-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त(दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में एवं अति0निरीक्षक गोसाईगंज श्री विजेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा राहगीर को रोककर व मारपीट कर छिनैती / लूट करने वाले 04 शातिर अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण:-

- दिनांक-22.07.2026 को वादी मुकदमा मो0 सरीफ पुत्र अब्दुल करीम निवासी ग्राम जमालपुर कुर्मियान मजरा रतियामऊ थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ द्वारा तहरीरी सूचना दी गई जिसमें वादी अपनी दो पहिया वाहन से खरीदारी करके वापस घर आ रहा था कि तभी रास्ते में नवाब अली का पुरवा रेलवे क्रासिंग के पास एक पल्सर मोटर साइकिल से सवार 03 अज्ञात लोगों द्वारा उसको रोक लिया गया और रोकने के बाद उक्त लोगों द्वारा डरा धमकाकर मोबाईल फोन व रुपये छीनकर फरार हो गये। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज पर मु0अ0सं0-292/2026, धारा-304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।
- घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा 05 पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के मार्गों व चौराहों पर लगे करीब 70-80 सीसीटीवी कैमरों को चैक कर व स्थानीय पुलिस सूचना तन्त्र के आधार पर अभियुक्त 01.राजू, 02. विशाल,03. गोविन्द, 04. रामजी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 07 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल को बरामद किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर धारा-309(4)/317(2)/317(4) बीएनएस में रिमाण्ड प्राप्त कर जेल भेजा गया।

03-पूछताछ का विवरण –

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि सर हम लोगो का गिरोह है हम लोगो में से राजू ,विशाल गोविन्द द्वारा राह चलते लोगो से डरा धमकाकर उनका सामान/पैसे/मोबाइल फोन छिन लेते है और उसे बेचकर पैसे आपस में बाट लेते है,और उसी पैसे से ऐसो आराम करते है।

अभियुक्त रामजी द्वारा बताया गया कि सर मेरी मेबाइल व इलेक्ट्रानिक सामान की दुकान है मैं इस गैंग का सक्रिय सदस्य हूँ। इनके द्वारा जो भी मोबाइल छिनकर/लूटकर/चोरी कर लाया जाता है उन्हे मैं फार्मेट कर पुनः नया बनाकर महंगे दामों में बेच देता हूँ। जिससे मुझे बहुत मुनाफा होता है। साहब मुझसे गलती हो गयी मुझे माफ कर दीजिए।

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. राजू पुत्र रमेश निवासी अंसारी वार्ड अमेठी थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र 24 वर्ष
   (शिक्षा- 5 वीं, व्यवसाय- ट्रैक्टर ड्राइवर)।
2. विशाल पुत्र स्व0 रामसागर निवासी अंसारी वार्ड अमेठी थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष
   (शिक्षा- 10 वीं, व्यवसाय- पोकलैण्ड आपरेटर)।
3. गोविन्द पुत्र रामू निवासी ग्राम बरकत नगर भट्टी थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष
   (शिक्षा- कक्षा 3, व्यवसाय- ट्रैक्टर ड्राइवर)।
4. रामजी पुत्र रामअवतार निवासी ग्राम बरकत नगर भट्टी थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष
   (शिक्षा- बीए, व्यवसाय- मोबाइल रिपेयरिंग शाप)।

05-अनावरित अभियोगः-

01-मु0अ0सं0-292/2026, धारा-309(4)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना गोसाईगंज, लखनऊ।

06-आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त - राजू पुत्र रमेश का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-278/26 धारा-115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना गोसाईगंज, लखनऊ।
2. मु0अ0सं0-287/26 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना गोसाईगंज, लखनऊ।

अभियुक्त - विशाल पुत्र स्व0 रामसागर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 278/26 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना गोसाईगंज, लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 287/26 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना गोसाईगंज, लखनऊ।
3. मु0अ0सं0-52/23,धारा-323/504/506 भादवि व 3(1)(द)/3(1)(ध) sc/st act थाना सु0गो0सि0 ,लखनऊ।

अभियुक्त- गोविन्द पुत्र रामू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-278/26, धारा-115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना गोसाईगंज, लखनऊ।
2. मु0अ0सं0-287/26, धारा-115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना गोसाईगंज, लखनऊ।

07-बरामदगी का विवरणः-

- 01 अदद पल्सर मोटर साईकिल (घटना में प्रयुक्त)
- 01 अदद मोबाइल फोन वीवो कम्पनी
- 01 अदद मोबाइल फोन रियलमी कम्पनी
- 01 अदद मोबाइल फोन सैमसंग कम्पनी
- 01 अदद मोबाइल फोन वीवो कम्पनी
- 01 अदद मोबाइल फोन लावा कम्पनी
- 01 अदद मोबाइल फोन मोटोरोला कम्पनी
- 01 अदद मोबाइल फोन वीवो कम्पनी

➢

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री भुवाल सिंह
2. उ0नि0 श्री सौरभ पाण्डेय
3. उ0नि0 श्री दिव्यांशु तिवारी
4. उ0नि0 श्री सुमन प्रकाश
5. हे0का0 अवनीश विक्रम सिंह
6. का0 राहुल कुमार
7. का0 लवकुश तिवारी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1310

दिनांक- 30.07.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-चौक

- **थाना चौक पुलिस टीम द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड व लकड़ी के डण्डे बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **30.07.2026** को वादिनी श्रीमती मंजू यादव पत्नी विनोद यादव, निवासी राजाबाजार, नाला बेगमगंज, लखनऊ द्वारा थाना चौक पर तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक **29.07.2026** की रात्रि स्कूटी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में नामित अभियुक्तों द्वारा उनके पति विनोद यादव पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। बीच-बचाव करने पहुंचे वादिनी के पुत्र के साथ भी मारपीट की गई तथा वादिनी को भी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। घायल विनोद यादव को उपचार हेतु ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया।

उक्त सूचना पर **थाना चौक पर मु0अ0सं0-0165/2026 धारा 109(1)/115(2)/351(2) बीएनएस** पंजीकृत कर नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तत्काल पुलिस टीम गठित की गई।

पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक **30.07.2026 को राजा बाजार चौराहे के पास से 03 नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया।

अभियुक्तों की **निशानदेही पर उनके घर से घटना में प्रयुक्त 01 लोहे की रॉड एवं 02 लकड़ी के डण्डे बरामद** किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर **माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।** अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

02- पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 0165/2026 धारा 109(1)/115(2)/351(2) बी0एन0एस0 थाना चौक लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. पप्पू यादव उर्फ खलीफा उर्फ संजय यादव पुत्र यदुवंश किशोर यादव उर्फ जद्दू निवासी राजाबाजार नाला बेगमगंज लखनऊ उम्र 60 वर्ष
2. सागर यादव पुत्र पप्पू यादव उर्फ खलीफा उर्फ संजय यादव निवासी राजाबाजार नाला बेगमगंज लखनऊ उम्र 26 वर्ष
3. आनंद यादव पुत्र पप्पू यादव उर्फ खलीफा उर्फ संजय यादव निवासी राजाबाजार नाला बेगमगंज लखनऊ उम्र 25 वर्ष

04-बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद लोहे की रॉड
- 02 अदद लकड़ी के डण्डे
- 01 अदद खून से सना गमछा

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नागेश उपाध्याय थाना चौक लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री नारायन वर्मा, चौकी प्रभारी यहियागंज , थाना चौक लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री आशीष कुमार, थाना चौक लखनऊ।
4. का0 रोहित यादव थाना चौक लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1305

दिनांक- 30.07.2026

जोन-मध्य / थाना-आशियाना

- **थाना आशियाना पुलिस टीम द्वारा रेकी कर मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 02 शातिर वाहन चोर / अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **चोरी की 01 अदद मो0सा0 बरामद ।**

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक 17.05.2026 को वादी मुकदमा जान मोहम्मद पुत्र ईशा मोहम्मद निवासी रिक्शा कालोनी निकट जय हिन्द स्कूल थाना आशियाना लखनऊ, द्वारा दी गयी लिखित तहरीरी सूचना बाबत वादी की मोटरसाइकिल UP32RL2071 चोरी हो जाने की सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 194/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया। अभियोग उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 प्रमीन्दर सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

घटना के अनावरण हेतु थाना आशियाना की पुलिस टीम द्वारा मुखबिरखास की सूचना के आधार पर दो अभियुक्तो को 1. फयूम पुत्र जामिन निवासी ग्राम घघरा कटिया थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 19 वर्ष 2. सलमान पुत्र अख्तर अली निवासी ग्राम घघरा कटिया थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 20 वर्ष को देबीखेड़ा रोड मोड़, थाना आशियाना लखनऊ से दिनांक 29.07.2026 को समय करीब 22.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया तथा अभियुक्तो के पास से मोटर साइकिल हीरो एचएफ डीलक्स नम्बर UP32RL2071 को बरामद किया गया। **बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी** तथा गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. फयूम पुत्र जामिन निवासी ग्राम घघरा कटिया थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 19 वर्ष
2. सलमान पुत्र अख्तर अली निवासी ग्राम घघरा कटिया थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 20 वर्ष

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 194/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना आशियाना लखनऊ।

आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य थानों से जानकारी की जा रही है।

04-बरामदगी –

- मोटरसाइकिल संख्या UP32RL2071

05-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 गजेन्द्र कुमार राय थाना आशियाना लखनऊ
2. व0उ0नि0 धर्मवीर शाही थाना आशियाना लखनऊ
3. उ0नि0 प्रमीन्दर सिंह थाना आशियाना लखनऊ
4. का0 लक्ष्मण अग्रवाल थाना आशियाना लखनऊ
5. उ0नि0 विजय प्रताप थाना आशियाना लखनऊ
6. का0 ज्ञान सिंह थाना आशियाना लखनऊ
7. का0 अमित कुमार थाना आशियाना लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1309

दिनांक-30.07.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-चौक

- **थाना चौक पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर / अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **चोरी की 06 अदद मोटरसाईकिल बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.07.2026 को वादी मुकदमा श्री पवन पुत्र सत्यवान नि0-184/3 मल्लाही टोला थाना ठाकुरगंज लखनऊ के द्वारा थाना चौक में तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक 11.07.2026 को यूनिवर्सल मैरिज लॉन चौक से वादी मुकदमा की मोटर साइकिल हीरो एचएफ डीलक्स वाहन संख्या UP32JH6319 किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया है।

उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-164/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना चौक लखनऊ बनाम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया कर तत्काल चोरी गयी मोटरसाईकिल की बरामदगी हेतु टीम का गठन किया गया।

उक्त मुकदमें में विवेचनात्मक कार्यवाही अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम में अभियुक्त दानिश पुत्र नासिर खान निवासी बद्दारी मोहल्ला खैराबाद थाना खैराबाद जनपद सीतापुर हालपता मछली मण्डी के आगे इनोवेल स्कूल वाली गली थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष को आज 30.07.2026 को सोनिया गाँधी नगर थाना चौक लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त की निशानदेही पर कुल 05 मोटरसाईकिल सोनिया गाँधी नगर थाना चौक लखनऊ व 01 अदद मोटरसाईकिल हुसैनाबाद इण्टर कालेज चौक के पास से बरामद की गयी है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त दानिश खान उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02- पंजीकृत / अनावरित अभियोग -

1. मु0अ0सं0 164/2026 धारा 303(2) बीएनएस तथा **धारा बढोत्तरी 317(2) बीएनएस** थाना चौक लखनऊ
2. मु0अ0सं0 465/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना – ठाकुरगंज लखनऊ
3. मु0अ0सं0 374/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना – ठाकुरगंज लखनऊ
4. मु0अ0सं0 495/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना – ठाकुरगंज लखनऊ

अन्य आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य थानों से जानकारी की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- दानिश पुत्र नासिर खान निवासी बद्दारी मोहल्ला खैराबाद थाना खैराबाद जनपद सीतापुर हालपता मछली मण्डी के आगे इनोवेल स्कूल वाली गली थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

04-बरामदगी का विवरण-

- वाहन संख्या UP32LV7233 स्कूटी टीवीएस पेप (मु0अ0सं0 495/2026 थाना ठाकुरगंज से सम्बन्धित)
- वाहन संख्या UP32DA0159 स्कूटी होण्डा एवियेटर (मु0अ0सं0 465/2026 थाना ठाकुरगंज से सम्बन्धित)
- वाहन संख्या UP40AF8651 मोटरसाईकिल होण्डा लीवो (मु0अ0सं0 374/2026 थाना ठाकुरगंज से सम्बन्धित)
- वाहन संख्या UP41AF8965 मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेन्डर प्लस
- वाहन संख्या UP32PB9479 मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेन्डर प्लस i3S
- **मोटरसाइकिल के नम्बर प्लेट पर UP32JH6319 मोटरसाईकिल हीरो एचएफ डीलक्स (मु0अ0सं0 164/2026 थाना चौक से सम्बन्धित)**

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नागेश उपाध्याय थाना चौक लखनऊ।
2. उ0नि0 विनीत कुमार, चौकी प्रभारी पाटानाला, थाना चौक लखनऊ।
3. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी पुलगामा, थाना चौक लखनऊ।
4. उ0नि0 पंचदेव यादव थाना चौक लखनऊ।
5. का0 अरविन्द कुमार थाना चौक लखनऊ।